

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:-307/2022/226 आर.टी.एक्ट (2022/307)

1. गिट्टू पुत्र श्री गिर्यारी जाति गुर्जर, निवासी अर्जुनपुरा, ग्रामपंचायत पड़ांगा तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

अपीलांत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर।
2. पटवार हल्का पड़ांगा तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.11.2022 राजस्व वाद संख्या 109/2022.


उपस्थित:-

1. श्री, भीयाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलांत.
2. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांक:- 06.04.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के द्वारा प्रकरण संख्या 109/2022 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2022 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांत ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के न्यायालय में विरुद्ध प्रतिअपीलांतगण-रेस्पोंडेंट्स अंतर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि अपीलांत की कब्जाशुदा आराजीयात ग्राम अर्जुनपुरा पटवार हल्का पड़ांगा भू-अभिलेख निरीक्षक सिंगावल जिला अजमेर में अवस्थित हैं। जो कि अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2073-2076 में ग्राम अर्जुनपुरा के खाता संख्या 01 के खसरा नम्बर 666 कुल रकबा 29.21 में से 2.40 है० पर अपीलांत व उसका परिवार पिछले करीबन 30 वर्षों से अधिक समय से काविज काश्त है और उक्त आराजी पर परिवार का लालन-पालन करने के लिए फसल की काश्त करते हैं। और उक्त आराजी को बंजर से कृषि योग्य बनाया और उक्त आराजी में खाद मिट्टी डालकर रेतिली आराजी से ऊर्वरक यानि काश्त काविल बनाया और उक्त आराजी की सुरक्षा व्यवस्था हेतु मेढ व बाड़ लगाई। अपीलांत की उक्त आराजी कए चक के रूप में विद्यमान है। उक्त आराजी को अपीलांत वर्षों दराज से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, इसलिए अपीलांत का लंबे समय से काविज काश्त होने से



खातेदार काशतकार घोषित किए जाने का वाद विचारणीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अपीलान्ट ने वाद-पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 के तहत करीब-करीब उन्हीं कथनों के साथ प्रस्तुत किया जो कथन वाद पत्र में अंकित किए गए हैं। अंत में अपीलान्ट ने प्रार्थना की कि वाद में वर्णित आराजी में अपीलान्ट का 30 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काशत होने से खातेदार काशतकार घोषित करवाने तक विवादित आराजीयात से अपीलान्ट के कब्जे काशत में दखल अंदाजी से रेस्पोंडेंटस को पाबंद फरमाया जाकर वाद वर्णित भूमि को अपीलान्ट को बेदखल नहीं करे और उनके कब्जा काशत में हरतक्षेप नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अपने आदेश दिनांक 28.11.2022 से दर्ज रजिस्टर कर लिया लेकिन अपीलान्ट अभिभाषक के निवेदन पर विचारणीय न्यायालय ने अपीलान्ट अभिभाषक के निवेदन को दरकिनार कर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को विना कोई कारण अंकित किए केवल मात्र अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को दर्ज कर रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी किए। अपीलान्ट के स्थगन प्रार्थना पत्र पर किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जिससे अपीलान्ट के पास न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के आदेश दिनांक 28.11.2022 जो कि स्थगन पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया। अतः अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के द्वारा प्रकरण संख्या 109/2022 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस अपील में कथन किया कि राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत यह प्रावधान दिए गए हैं कि जहां विवादित आराजीयात के संदर्भ में कोई वाद विचाराधीन है तो वाद को दर्ज करने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तो उपरोक्त प्रार्थना पत्र के अंतर्गत मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखने का आदेश पारित करना न्यायालय का कर्तव्य है। जिससे अन्य कार्यवाहियां ना बढ़े। ऐसी स्थिति में जो आदेश उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने जारी किया है वह न्याय की श्रेणी में नहीं आकर काबिल निरस्त योग्य है। उपखण्ड अधिकारी भिनाय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि यदि कोई पक्षकार उनके न्यायालय में किसी भी प्रकार का प्रकरण का उचित-अनुचित आदेश पारित करना चाहिए जैसा कि 2011 आरआरटी पार्ट 1 पेज 152 में प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम के प्रावधानों को उल्लेखित करते हुए आदेश पारित किया जिसकी विचारण न्यायालय ने प्रतिपादित सिद्धांतों की अवहेलना की है एवं आरबीजे 1994 पेज 24 पर राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जहां किसी प्रकरण को न्यायालय विचारणार्थ ग्रहण कर लेता है वहां पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित करना न्यायालय का कर्तव्य है। अपीलान्ट जो कि अपीलाधीन आराजीयात पर काबिज काशत चली आ रही है तथा अपीलान्ट गरीब अनपढ़ काशतकार है तथा रेस्पोंडेंटस इसका नाजायज फायदा उठाकर अपीलान्ट की 30 वर्ष से अधिक समय


Jhm
अधिकारी अपील प्रतिकर
अजमेर




- की कब्जा व काशतकारी की आराजीयात को बिना नियमन/आवंटन करवाए बेदखल कर अन्यत्र दुरारे व्यक्तियों को आवंटन/नियमन करने आमादा हो रहे है। इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को बिना कोई कारण अंकित किए केवल मात्र नोटिस जारी किए जाने के आदेश प्रदान कर दिए जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर रेस्पोंडेंट्स को केवल नोटिस जारी करने का आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध उक्त सभी दस्तावेजों को नजर अंदाज कर तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का समुचित आदेश प्रदान नहीं कर विधिक त्रुटि की है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के द्वारा प्रकरण संख्या 109/2022 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2022 को दुरुस्त फरमाया जाकर ताफैसला मूल वाद रेस्पोंडेंट्स को अपीलांट के कब्जेकाशत में दखअंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, अवैधानिक रूप से जबरन बेदखल नहीं करें तथा दुसरे व्यक्तियों को आवंटन/नियमन नहीं करें तथा मौके व राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करवाने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे।
5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय⁰ ने दिनांक 28.11.2022 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज⁰काशत⁰अधि⁰ पेश होने पर प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए है जो एक विधिक प्रक्रिया है ना कि अंतिम आदेश। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है जो संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।
6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज⁰काशत⁰अधि⁰ के तहत दिनांक 28.11.2022 को पेश किया जिसे विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की दिनांक को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को को नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.1.2023 नियत की है। विचारण न्यायालय का उक्त आदेश एक विधिक प्रक्रिया है, ना कि अंतिम आदेश। विचारण न्यायालय के उक्त अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील हाजा न्यायालय के समक्ष पेश की है जो अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश गई है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को ही करना है इसलिए अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काशतकारी अधिनियम पर उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

7. अतः अपील अपीलांत आंशिक रवीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम पर उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। अपीलांत स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.04.2023 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।




(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

- 8 निर्णय आज दिनांक 06.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर